राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–22 / 2024

हंसा कंवर

–अपीलार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, जयपुर।
3. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (प्रशासन एवं मुख्यालय), पुलिस दूरसंचार, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 05.01.2024
आदेश की दिनांक : 07.08.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : कोई उपस्थित नहीं

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थियां के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थिया के पति पुलिस विभाग में एएसआई के पद पर कार्यरत् थे। सेवा के दौरान अपीलार्थिया के पति की मृत्यु दिनांक 01.01.2020 को हो गई। नियुक्ति के पश्चात् अपीलार्थिया ने फरवरी 2020 में ही पारिवारिक पेंशन हेतु पेंशन कुलक प्रत्यर्थी सं. 3 को प्रेषित कर दिये। परन्तु आज तक भी अपीलार्थिया को पारिवारिक पेंशन जारी नहीं की गई, जिसके विरूद्ध अपीलार्थीया ने प्रत्यर्थीगण को दिनांक 12.05.2023 अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीया की पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की जावें। परन्तु आज दिनांक तक अपीलार्थीया को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है। यह भी तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थीया ने अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आवेदन किया, जिस पर अपीलार्थीया को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर एफएसएल में नियुक्ति प्रदान की गई। अपीलार्थिया के अधिवक्ता का तर्क है कि नियमानुसार पारिवारिक पेंशन पत्नी का नाम रिकॉर्ड में दर्ज होने पर पत्नी को ही जारी की जाती है तथा अपीलार्थीया का नाम नॉमिनी में होने के कारण तथा अपीलार्थीया ने फरवरी 2020 में ही पेंशन कुलक भरकर प्रत्यर्थीगण को प्रेषित कर दिये थे, परन्तु आज तक अपीलार्थीया को

पेंशन परिलाभों का भुगतान नहीं किया गया है। उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थिया की ओर से निम्न प्रकार से प्रार्थना की गई है:—

''(क) अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी को पारिवारिक पेंशन दिनांक 01.01.2020 से स्वीकृत करते हुए समस्त एरियर का भुगतान 12 प्रतिशत ब्याज सहित प्रत्यर्थीगण से दिलाया जावें तथा जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावे।

(ख) खर्चा अपील दिलाया जावे।

(ग) अन्य सहायता जो माननीय अधिकरण अपीलार्थी के पक्ष में उचित समझे, दिलवाई जावे।''

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से प्रस्तुत जवाब से स्पष्ट है कि अपीलार्थिया के पति ने अपने जीवन काल में दो शादीयां की थी। जिसमें प्रथम पत्नि श्रीमती संतोष कंवर का निधन हो चुका है, जिससे उनके दो पुत्र व एक पुत्री का नाम अपीलार्थिया के पति द्वारा सरकारी रिकार्ड में दर्शाया हुआ है। तदोपरान्त अपीलार्थिया के पति ने अपने जीवन काल में द्वितीय शादी श्रीमती हंसा कंवर से करी, जिससे दो पुत्री हुयी। तदोपरान्त अपीलार्थिया के पति द्वारा सरकारी रिकार्ड में अपनी दूसरी पत्नि श्रीमती हंसा कंवर का नाम भी जुडवाया गया। अपीलार्थिया के परिजनों द्वारा एक पारिवारिक दीवानी वाद सं० 740/2020 एवं अस्थाई निषेधाज्ञा सं0 705/2020 द्वारा श्री विश्वप्रताप सिंह पुत्र श्री किशोर सिंह शेखावत द्वारा दिनांक 21.11.2020 को माननीय सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट (दक्षिण) जयपुर महानगर प्रथम के यहा दायर किया हुआ है। माननीय न्यायालय में अस्थाई निषेधाज्ञा सं0 705/2020 द्वारा श्री विश्वप्रताप सिह पुत्र श्री किशोर सिंह शेखावत बनाम राज्य सरकार अन्य दिनांक 03.05.2023 को खारिज हो गयी है परन्तु दीवानी वाद सं० 740/2020 द्वारा श्री विश्वप्रताप सिंह पुत्र श्री किशोर सिंह शेखावत बनाम राज्य सरकार अन्य में आज दिवस तक कोई भी निर्णय माननीय न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया है। ऐसी सुरत में अपीलार्थिया को पेंशन व अन्य परिलाभ दिया जाना न्याय संगत नहीं होगा।

3. हमनें दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थिया के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थिया के पति की मृत्यु के पश्चात केवलमात्र अपीलार्थिया ही पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त करने की अधिकारी है। अपीलार्थिया के अन्य पत्नी की जो संतानें हैं, वे सभी बालिग हैं, अतः वे पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थिया को पेंशन से वंचित रखा जाना उचित नहीं है। दिवानी वाद जो लम्बित है, वह स्व. श्री किशोर सिंह एवं उनकी पहली पत्नी स्व. संतोष कंवर के पुत्र विश्वप्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें पारिवारिक पेंशन के संबंध में कोई विवाद नहीं है। इसके अलावा विश्वप्रताप

सिंह पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। ऐसे में दिवानी वाद का लम्बित होना मानते हुए अपीलार्थिया को पारिवारिक पेंशन से वंचित रखा जाना उचित नहीं है। यह अविवादित तथ्य है कि प्रत्यर्थी विभाग के रिकॉर्ड में अपीलार्थिया को स्व. श्री किशोर सिंह के पत्नी के रूप में माना गया है। यह तथ्य भी प्रकट हुआ है कि अपीलार्थिया को मृतक की पत्नी होना मानते हुए अनुकम्पात्मक नियुक्ति भी प्रदान की गई है। जो दिवानी वाद विश्वप्रताप सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उसमें निम्न प्रकार से प्रार्थना की गई हैः–

''(क) यह कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री फरमाया जावें।

(ख) यह कि न्यायालय हाजा इस आशय की घोषणा फरमायें कि केवल वादी ही अपने पिता स्वर्गीय श्री किशोर सिंह शेखावत, पुलिस उपनिरीक्षक, पुलिस दुरसवार, शाखा–यादगार, अजमेरी गेट, जयपुर की दिनांक 01.01.2020 को आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी है तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 संयुक्त रूप से उनकी ग्रेच्युटी राशि व अन्य सेवालाभों की प्राप्ति के संयुक्त अधिकारी है।

(ग) यह कि प्रतिवादीगण को इस कदर की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जायें कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 3. प्रतिवादी संख्या 4 को ना तो अनुकम्पा नियुक्ति देवें ना ही प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 को ग्रेच्युटी राशि व अन्य सेवा लाभों का भुगतान करें।

(घ) यह कि अन्य कोई अनुतोष जो बहक वादी व विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 हो अता फरमायें।

(ड.) यह कि हर्जा–खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 से दिलाया जावें।''

4. दिवानी वाद में विश्वप्रताप सिंह ने पारिवारिक पेंशन की मांग नहीं की है। इसके अलावा विश्वप्रताप सिंह 31 वर्ष का बालिग व्यक्ति है, जो राजस्थान सिविल सेवा पेशंन नियम, 1996 के नियम–66 में दी गई 'पारिवारिक पेंशन' की परिभाषा में नहीं आता है। ऐसे में विश्वप्रताप सिंह पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः यह स्पष्ट है कि अपीलार्थिया ही एकमात्र पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की अधिकारी है। अतः ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थिया को पारिवारिक पेंशन से वंचित रखा जाना उचित नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह अपील स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थिया को पारिवारिक पेंशन का लाभ नियमानुसार स्वीकृत किया जाये। साथ ही अपीलार्थिया को पारिवारिक पेंशन की एरियर राशि पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 89 के तहत ब्याज राशि का भी भुगतान किया जाये।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)